न्यायालय : सहायक कलेक्टर, लालसोट जिला दौसा (राज0)

पीठासीन अधिकारी — श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर लालसोट

मुकदमा नं0 — 3/2022, 2022/1
दर्ज दिनांक — 11–03–2022

कैलाश पुत्र राधाकिशन मीना जाति निवासी चक पृथ्वीसिंहपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादी)

बनाम्

1. जगदीश पुत्र हरि मीना जाति मीना निवासी चक पृथ्वीसिंहपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित :– वादी की ओर से श्री पंकज कुमार शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 की एकतरफा कार्यवाही

<u>वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत आरटीए 1955</u>

निर्णय **दिनांक** : 24/02/23

संक्षिप्त में प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि ग्राम चक पृथ्वीसिंहपुरा, पटवारी हल्का शिवसिहपुरा पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण मे दिनांक 21–06–2022 को [illegible] वादी को सुना जाकर वाद–वादी मुताबिक राजस्व रिकार्ड [illegible] प्राथमिक रूप से डिकी किया गया। तदुपरान्त तहसीलदार लालसोट को वादग्रस्त आराजी मुताबिक प्राथमिक निर्णय व डिकी विभाजन प्रस्ताव विभाजने हेतू निर्देशित किया

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला दौसा (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2023.06.02 14:27:44 IST
Reason: SelfAttested

गया। जिस पर हाल तहसीलदार निर्झरना द्वारा विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात) मय नक्शा तैयार कर पत्रांक भू0अ0/22/138 दिनांक 07-04-2022 द्वारा इस न्यायालय मे भिजवाये गये। कुर्रेजात शामिल मिशल किये गये। कुर्रेजात पर आपत्ति प्राप्त नही होने पर दिनांक 13-02-2023 को वकील वादी को एक पक्षीय सुना गया। वकील वादी ने मुताबिक कर्रेजात प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम रूप से डिकी किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादी बहस पर गौर फरमाया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, कुर्रेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजात मे प्रदर्श एक्स-1 जमाबन्दी खाता संख्या 5 सम्वत 2075-78 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी की सहखातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। वादी उक्त आराजी के हिस्सा 1/2 का अभिलिखित खातेदार है। तहसीलदार निर्झरना से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव का अवलोकन किया गया कुर्रेजात प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना तहसील लालसोट स्थित आराजी खसरा नं0 54 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं0 95/20 रकबाि 0.42 हैक्टेयर, खसरा नं0 98/24 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नं0 102/55 रकबा 0.61 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.53 हैक्टेयर कृषि जिसे वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गयाक है, मे वादी का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि सह खातेदारान की अविभाजित कृषि भूमि है जिसमे कब्जे व सीमाओ को लेकर उभयपक्षो के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। बतौर वादी के खातेदार होने के बावजुद भी प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त मे दखल-अंदाजी करता रहता है जिसके सम्बन्ध मे विवाद उत्पन्न होने के कारण कई मर्तबा वादी ने शिकायते की है एवं दिनांक 05-12-2021 को वादी अपने हिस्से की भूमि काश्त हेतू टैक्टर लेकर गया तो प्रतिवादी संख्या एक व उसके परिवाजनो ने वादी को काश्त कर[illegible] दी की वादी के हिस्से की भूमि पर भी काश्त नही [illegible] धमकी से वाद हेतुक होने पर वादी द्वारा उपरो[illegible]त का मुताबिक राजस्व रिकार्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतू यह वाद पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2023.06.02 14:27:44 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. प्रतिवादीगण को तलब किया गया। बावजुद सूचना के प्रतिवादी संख्या 1, 2 के उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी कुर्रेजात न्यायालय आदेशानुसार विधिवत पालना करते हुए ही बनाये गये है। कुर्रेजात के संलग्न नक्शा मे खातेदारो के हिस्सो का प्राथमिक निर्णय एवं डिकी अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कर प्रत्येक खातेदार के हिस्से को अलग अलग रंग से दर्शाया गया है। प्राप्त कुर्रेजात पर कोई आपत्ति भी नही जताई है। अतः न्यायालय की दृष्टि मे वाद वादी मुताबिक कुर्रेजात एवं नक्शा अन्तिम रूप से निर्णय व डिकी किया जाना न्याय संगत दृष्टिगत होता है।

आदेश

अतः उक्त विवेचनो एवं तथ्यो के आधार पर वाद वादी सारवान रूप से विधि के सम्यक पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से निर्णय एवं डिकी किया जाता है।

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	जगदीश पुत्र हरि जाति मीना सा. देह खातेदार राहिन इंडियन ओवर सीज बैक शाखा लालसोट	54 95/20/1 98/24/1 102/55/1	0.01 0.21 0.25 0.30	चाही2 बारानी चतुर्थ चाही3 चाही2	0.23 0.63 4.50 6.90
	योग किता	4	0.77		12.26
2.	कैलाश पुत्र राधाकिशन जाति मीना सा. देह खातेदार राहिन ओरियन्ट बैक ऑफ कामर्स शाखा शिवसिंहपुरा	95/20/2 98/24/2 102/55/2	0.21 0.24 0.31	बारानी चतुर्थ चाही3 चाही2	0.63 4.32 7.13
	योग	3	[illegible]		12.08

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2023.06.02 14:27:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकार्ड मे दर्ज आराजी खसरा नं0 54 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं0 95/20 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नं0 98/24 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नं0 102/55 रकबा 0.61 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.53 हैक्टेयर कृषि

सहायक कलक्टर

भूमि वाकै ग्राम चक पृथ्वीसिंहपुरा हाल तहसील निर्झरना का हिस्से अनुसार मुताबिक कुर्रेजात बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर तहसीलदार निर्झरना को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक निर्णय डिक्री राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा बटा नम्बर अंकित किये जाकर मुताबिक कुर्रेजात पृथक- पृथक लगान का निर्धारण करें प्रतिवादी संख्या एक को वादी के कब्जे काश्त मे दखल अंदाजी न करने बाबत स्थायी रूप से पाबन्द किया जाता है। कुर्रेजात निर्णय का पार्ट रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.2.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर कार्यालय रिकार्ड हो।

श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर लालसोट

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2023.06.02 14:27:44 IST
Reason: SelfAttested